तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-6-2018	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **<u>उपस्थित–</u>** श्री वी.पी. सिंह राजावत राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी। –––– **<u>निर्णय</u>** यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 308/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28–10–2005 के द्वारा अपनी अभिशंषा के साथ राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, **फुलेरा** ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में एक रेफरेंस पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बधाल तहसील फुलेरा की सेटलमेंट खतौनी संवत 2011–2029 में आराजी खसरा नंबर 167 रकबा 84 बीघा 18 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित थी। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में जुवारा पुत्र रामू जाति जाट निवासी बधाल के नाम खाता संख्या 136 खसरा नंबर 167/5 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी–2 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 709 से अप्रार्थी को जरिये आवंटन दिनांक 21–01–1984 के द्वारा दर्ज है। आगे उन्होंने कथन किया यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजी अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को **गै0मु0 तलाई** के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी **गै0मु0 तलाई** के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में **अप्रार्थी** के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती **गै.मु. तलाई** दर्ज करने का निवेदन किया। 6- विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि भौतिक रूप से कभी भी जल संग्रहण या जल निकासी के उपयोग में नहीं रही है। राजस्व रिकार्ड में भौतिक स्थिति के विपरीत विवादित भूमि की किस्म **गै.मु. तलाई** अंकित की है जबकि विवादित भूमि काबिल काश्त होने से ही अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन की गई है। अतः प्रकरण में धारा 16 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान कतई लागू नहीं होते है और ना ही प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में आता है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस खारिज किया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि रेफरेंस काफी देरी से अर्थात आवंटन के काफी वर्षो के बाद पेश किया गया है, जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय नें रेफरेंस मण्डल के समक्ष प्रेषित किया है, जो सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड बधाल तहसील फुलेरा की जमाबंदी संवत 2011-2029 का अवलोकन किया जिसमें साबिक खसरा नंबर 167 रकबा 84 बीघा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित थी। इससे यह स्पष्ट है कि यह भूमि सिवायचक है। नामांतरकरण संख्या 709 को देखने से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 167/5 की 10 बीघा भूमि किस्म बारानी–2 के रूप में जुवारा पुत्र रामू कौम जाट सा0 बधाल को आवंटन होने से उनके पक्ष में यह नामांतरकरणं गैर खातेदारी स्वीकृत किया गया। नामांतरकरण संख्या 1091 से गैर खातेदारी की बजाय खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई। वर्तमान जमाबंदी संवत 2056–2059 में खसरा नंबर 167/5 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी–2 जुवारा पुत्र रामू कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि की गै.मु. तलाई से बारानी–दोयम के रूप में परिवर्तित कर अप्रार्थी को आवंटित की गई तथा बाद में नामांतरकरण गैरखातेदारी/खातेदारी स्वीकृत किये गये है तथा हाल जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0तलाई''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 तलाई** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः- All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में **अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर** द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बधाल तहसील फुलेरा के खसरा नंबर 167/5 की 10 बीघा भूमि के **गै0मु0 तलाई** से बारानी-2 में आवंटन/नियमन किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश एवं नामांतरकरण संख्या 709 गैरखातेदारी तथा नामांतरकरण संख्या 1091 से खातेदारी तथा इसके संबंध में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2011-2029 में अप्राथी जुवारा पुत्र रामू जाति जाट के नाम आदिनांक तक हुए इन्द्राज को आवंटन/नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा विवादित भूमि को वापिस उसके मूल स्वरुप किस्म **गै0मु0तलाई** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	